III नीति संबंधी पहल

आर्थिक सुधार के प्रारंभिक लक्षण प्रकट होने तथा तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद राज्य सरकारों ने 2010-11 के अपने बजटों में नीति संबंधी अनेक उपायों की घोषणा की। मुख्य जोर विभिन्न कर उपायों के माध्यम से और अधिक राजस्व प्राप्त करने पर दिया गया है तथा साथ ही आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की समस्या का समाधान करने के लिए निश्चित नीतिगत उपाय घोषित किए गए हैं। कई राज्यों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने को प्राथमिकता दी है तथा साथ ही खाद्यान्नों तथा कुछ आवश्यक वस्तुओं के मामले में कर छूट / करों में कमी की भी घोषणा की गई है। राज्यों के बजटों में नीति संबंधी घोषणाओं के अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर सामाजिक, आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों को विकसित करने का लक्ष्य रखते हुए विशिष्ट उपाय भी शामिल किए गए हैं। निकट भविष्य में माल और सेवा कर के प्रस्तावित कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए उचित वातावरण निर्मित करने हेतु राज्यों और केंद्र ने प्रयास किए हैं। तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर काम करते हुए संघ सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत निधि के ढांचे की समीक्षा करने के लिए एक समिति, तथा जो राज्य राजस्व संबंधी घाटे की स्थिति से लंबे समय से गुजर रहे हैं उनकी वित्तीय व्यवस्था में सुधार लाने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की है। चूंकि राज्य सरकारों के पास नकदी अधिशेष की स्थिति बनी हुई है इसलिए उनके अर्थोपाय अग्रिम की सीमाओं में वर्ष 2006-07 से परिवर्तन नहीं किया गया है।

1. परिचय

3.1 वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 की समष्टि आर्थिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य स्तर पर विस्तारवादी राजकोषीय नीति का प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ी। वृद्धि की संभावनाओं को बल प्रदान करने के लिए नीतिगत उपायों का जोर रोजगार के सृजन तथा कर छूट / कर में कमी पर था। वस्तुत: केवल कुछ राज्यों ने ही अपेक्षाकृत अधिक व्यय और कर छूट को लक्ष्य करके अलग से राजकोषीय सुधार के पैकेजों की व्यवस्था की। लेकिन वृद्धि की बेहतर संभावनाओं का पूर्वानुमान करके राज्यों ने वर्ष 2010-11 के लिए अपने बजट इस तरह प्रस्तुत किए जिनका मुख्य ध्यान कर बढ़ाने संबंधी उपायों पर था और साथ ही आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए मूल्ययोजित कर और उत्पाद शुल्क की दरों में छूट / कमी जैसे उपाय भी घोषित किए गए। व्यय के मामले में खाद्यान्न की पर्याप्तता तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए किया जाने वाले खर्च में वृद्धि के अलावा, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, आवास और रोजगार-सृजन के क्षेत्र में विभिन्न योजनागत मदों में (केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं तथा राज्य योजनाओं - दोनों के लिए) अधिक राशि का आबंटन प्रस्तावित है। कुछ राज्यों ने सरकारी और निजी क्षेत्र के समन्वित प्रयास से सड़कों और पुलों तथा स्वास्थ्य सेवाओं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाने का प्रस्ताव रखा है। उम्मीद है कि कुछ राज्य वर्ष 2010 में गारंटी मोचन फंड की स्थापना/ सुदृढ़ीकरण तथा राजकोषीय सुधारों और बज़ट प्रबंधन के संबंध में राजकोषीय मानदंडों का भलीभांति निरीक्षण करने के लिए समितियों/ आयोगों की नियुक्ति जैसे संस्थागत उपाय आरंभ करेंगे। राज्यवार विस्तृत नितिगत उपायों का ब्यौरा अनुबंध -1 में दिया गया है। इस अध्याय में राज्य वित्तों के संबंध में राज्य सरकारों, भारत सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तावित नीतिगत उपायों और योजनाओं की संक्षिप्त चर्चा की गई है।

2. राज्य सरकारें

3.2 वर्ष 2010-11 के राज्य बजटों में घोषित किए गए नीति संबंधी प्रस्तावों का मुख्य जोर वर्तमान समष्टि आर्थिक स्थितियों में सुधार तथा स्थिर वृद्धि की आवश्यकता की पृष्ठभूमि में, 13वें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के रास्ते पर वापस आने पर है।

राजस्व संबंधी उपाय

3.3 राजस्व के मामले में नीति संबंधी उपायों का व्यापक लक्ष्य कर राजस्व में वृद्धि करना है। कर संबंधी नीति से जुड़े प्रमुख उपायों के अंतर्गत ये शामिल हैं : (i) तंबाकू और उससे संबद्ध उत्पादों जैसी खास वस्तुओं पर मूल्ययोजित कर की दर में वृद्धि (अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक), (ii) परिवहन क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली सीएनजी, रस्सी,

बन और नेवार, उर्वरक, सूक्ष्म पोषकों और पौधों की वृद्धि तेज करने वाले बायो-इनपुट, किरासन स्टोव, लालटेन और पेट्रोमैक्स तथा उनके स्पेयर पार्ट्स, इम्ब्रायडरी और जरी के सामान, मोशन पिक्चर वितरण, और प्लास्टिक/ग्लास की कतरन (जिन पर पहले छूट थी) जैसी मदों पर मूल्ययोजित कर लगाना (राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (iii) डीज़ल, देशी धी, घरों में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की वस्तुएं, प्लास्टिक और टिन के डिब्बे तथा बैरल, उर्वरकों, पेस्टीसाइड, अपतृणनाशियों, कीटनाशी, शाकनाशी, कृंतकनाशी, तथा पौधों की वृद्धि को संचालित करने वाली वस्तुओं, लकड़ी, इमारती लकड़ी, प्लायवूड और लैमिनटेड बोर्डों, डोर और विंडो फिटिंग, तथा फर्नीचर जैसी कुछ वस्तुओं पर मूल्ययोजित कर बढ़ाना (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और (iv) मूल्ययोजित कर पर सरचार्ज लगाना (हरियाणा)। इसके अलावा राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार कुछ राज्यों ने मूल्ययोजित कर 4% से बढ़ाकर 5% करने की घोषणा की है। मूल्ययोजित कर की दर बढ़ाने के अलावा, राज्यों ने करों को तर्कसंगत बनाने के लिए उठाए जाने वाले उपायों की भी घोषणा की है जिनके अंतर्गत उत्पाद शुल्क के ढांचे को तर्कसंगत बनाना (गोवा और असम), यात्री वस्तु कराधान अधिनियम में संशोधन (असम और मेघालय), मूल्ययोजित कर की दर के अनुरूप बनाने के लिए प्रवेश कर दरों में संशोधन (बिहार), मोटर वाहन कर को तर्कसंगत बनाना/संशोधित करना (असम, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र और मिज़ोरम), मूल्ययोजित कर अधिनियम तथा विलासिता और व्यावसायिक कर संबंधी ई-सर्विसेज़ में संशोधन (महाराष्ट्र), स्टाम्प डयूटी को तर्कसंगत बनाना (मणिपुर) और मनोरंजन कर अधिनियम में संशोधन (उड़ीसा) शामिल हैं। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई तेजी से वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए अधिकांश राज्यों ने कुछ खाद्यान्नों तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर मूल्ययोजित कर से छूट देने या उसमें कमी लाने का प्रस्ताव दिया है।

3.4 कई राज्यों ने स्टाम्प डयूटी की दरों को कम करके (कर्नाटक, केरल, पंजाब और उत्तराखंड), दरों में छूट देकर (जम्मू और कश्मीर), कुछ लेनदेनों पर स्टाम्प डयूटी से छूट प्रदान करके (छत्तीसगढ़ और केरल) तथा विशेष प्रयोजन के लिए ई-स्टाम्पिंग करके (बिहार) स्टाम्प डयूटी के ढांचों को तर्कसंगत बनाने की घोषणा की है। व्यापार तथा ई-भुगतानों पर लगाए जाने वाले करों के मामले में नयी योजनाएं लागू करने के अलावा, कुछ राज्यों ने अपने यहां ई-रिटर्न अनिवार्य बनाए जाने का प्रस्ताव किया है (बिहार)। कर से भिन्न मामलों में कुछ राज्यों ने राजस्व में वृद्धि करने वाले उपायों की घोषणा की है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं (i) शराब की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस शुल्क तर्क संगत बनाना (गोवा और मेघालय), (ii) राजस्व एकत्र करने जैसे राजस्व से जुड़े काम करने के लिए राजस्व विभाग में एक अलग सवंर्ग के रूप में तलाटियों की भर्ती (गुजरात), (iii) राज्यों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश (जम्मू और कश्मीर तथा कर्नाटक), (iv) जमीन की बिक्री तथा 16 टन से अधिक वजन वाले वाहनों पर चुंगी लगाना (कर्नाटक), और (v) विद्युत शुल्क तथा वन विभाग की रायल्टी को तर्कसंगत बनाना (मणिपुर)।

व्यय संबंधी उपाय

3.5 कुछ वस्तुओं पर कर में छूट/कर में कमी की घोषणा के अलावा विभिन्न राज्यों ने खाद्यान्नों की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए वर्ष 2010-2011 के दौरान संसाधनों के विशेष आबंटन का प्रस्ताव किया जिसका ब्यौरा बॉक्स III.1 में दिया गया है। खाद्यान्न सुरक्षा पर और अधिक व्यय के अलावा विशेष रूप से शिक्षा, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, सिंचाई, सड़कें और पुल तथा ग्रामीण विकास जैसी सामाजिक-आर्थिक सेवाओं पर किया जानेवाला व्यय वर्ष 2010-11 के दौरान व्यय के आबंटन के मामले में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आया है, यद्यपि बजट में इनमें से कुछ क्षेत्रों पर किये जानेवाले व्यय में अपेक्षाकृत निम्नतर वृद्धि की व्यवस्था की गई है।

3.6 उच्च खाद्यान्न मुद्रास्फीति के परिवेश में कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियों से संबंधित नीतिगत पहलों ने अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई की क्षमता में वृद्धि हेतु हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ने नीतिगत उपायों की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्ताव किया है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के लिए बहुप्रयोजनीय कोल्ड-स्टोरेजों की स्थापना की जाए। किसानों को सहायता देने के लिए असम और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों ने घोषणा की है कि वे कृषि ऋणों पर ब्याज में सब्सिडी प्रदान करेंगे तथा नागालैंड किसानों को अधिक पैदावार वाले वीज तथा कृषि उपकरण प्रदान करेगा। खाद्यान्न उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से त्रिपुरा सरकार ने अपने यहां और अधिक खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रख कर एक कार्य-योजना तैयार की है।

3.7 राज्य सरकारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं तथा अन्य इन्सेटिव प्रदान करके औद्योगिक वृद्धि तथा

बॉक्स III.1: राज्यों के स्तर पर मुद्रास्फीति और आपूर्ति पक्ष संबंधी उपाय

मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीति (दोनों) से संबंधित उपायों की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन दोनों उपायों का सापेक्षिक महत्त्व मुद्रास्फीति के कारणों पर निर्भर करता है कि मुद्रास्फीति आपूर्ति से चालित है या मांग से। मांग संबंधी दबावों से पैदा होनेवाली मुद्रास्फीति की स्थिति मौद्रिक नीति की सहायता से बेहतर तरीके से ठीक की जा सकती है। लेकिन आपूर्ति पक्ष द्वारा प्रेरित मुद्रास्फीति संबंधी दबावों के लिए सरकार के सक्रिय हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि वर्ष 2009-10 के दौरान मुद्रास्फीति की स्थिति आपूर्ति पक्ष से संबंधित समस्याओं के कारण पैदा हुई थी, इसलिए केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता में सुधार लाने और उसके द्वारा मुद्रास्फीति पर दबाव कम करने के लिए अल्पावधि और मध्यावधि राजकोषीय तथा प्रशासनिक (दोनों) उपाय आरंभ किये। गरीबों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए राज्य सरकारों ने भी आपूर्ति पक्ष से संबंधित विभिन्न उपायों की घोषणा की। ऐसे उपाय वर्ष 2010-11 में भी किये जाते रहे तथा कई राज्यों ने मूल्य-वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कई खाद्यान्नों पर कर में छूट/कमी की घोषणा की और साथ ही खाद्यान्न वितरण के लिए निधियां आबंटित कीं तथा परिवहन की लागत में छूट प्रदान की। किये गये उपायों का राज्यवार विवरण सारणी 'ए' में दिया गया है।

सारणी ए : मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए राज्यवार उपाय

प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली	• असम ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए असम स्टेट सिविल सप्लाईज़ कारपोरेशन की स्थापना की घोषणा की। • अरुणाचल प्रदेश ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। • सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आबादी को लक्ष्य करना सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने एक प्रायोगिक परियोजना का प्रस्ताव किया जिसके अंतर्गत शिमला के दो प्रखंडों में बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। • मेघालय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाकर और उसे दक्ष बनाकर खाद्यान्न सुरक्षा और मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान करने का प्रस्ताव किया।
कर में छूट/कमी	• मध्य प्रदेश ने खाद्यान्न, आटा, दालों, नमक, गुड़, शक्कर और कपड़ों पर मूल्ययोजित कर से छूट प्रदान कर दी। • महाराष्ट्र सरकार ने चावल, गेहूं, दालों, आटा, मिर्च और अन्य वस्तुओं पर 31 मार्च 2011 तक या माल और सेवा कर अधिनियम के कार्यान्वयन तक, दोनों में से जो भी पहले हो, कर से छूट प्रदान करने की नीति जारी रखने का निर्णय लिया। • केरल सरकार ने आयातित शक्कर पर कर माफ कर दिया। • तमिळनाडु सरकार ने दालों और कुकिंग ऑयल पर वैट से छूट देने की नीति जारी रखने का निर्णय लिया। • उत्तराखंड ने आटा, मैदा, शक्कर और बेसन पर वैट से छूट देने की 2009-10 में घोषित नीति अन्य घरेलू वस्तुओं पर भी लागू करने का निर्णय लिया। • पश्चिम बंगाल सरकार ने शक्कर पर 31 मार्च 2011 तक वैट से छूट देने का निर्णय लिया। धान, चावल, गेहूं और दालों जैसे खाद्यान्नों पर कोई कर न लगाने की नीति भी जारी रहेगी।
खाद्यान्नों की कम कीमत पर आपूर्ति	• गरीबों को गेहूं और चावल उपलब्ध कराने के लिए गुजरात ने 133 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। • हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 किस्म की दालों, 2 किस्म के खाद्य तेलों और नमक पर राज्य द्वारा सब्सिडी दिये जाने की योजना लागू करने का वचन दिया। • कम कीमत पर खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री की अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 290 करोड़ रुपये आबंटित किये। • महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2010-11 में राशन की दुकानों से गेहूं, चावल, शक्कर, अरहर की दाल और खाद्य तेल कम दर पर उपलब्ध कराना जारी रखने का निर्णय किया जिस पर 1550 करोड़ रुपये का खर्च होने का अनुमान है। • राजस्थान सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 1 मई 2010 से 4.70 रुपये की जगह 2 रुपये प्रति किलो की दर पर गेहूं उपलब्ध कराने की घोषणा की। • तमिलनाडु सरकार ने मई 2007 से उचित मूल्य की दुकानों से कम दर पर आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराना जारी रखा। • उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ किस्म की दालें सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए, उनका आयात करने की घोषणा की।
प्रवर्तन तथा अन्य उपाय	• असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मेघालय और उत्तर प्रदेश ने जमाखोरी और मिलावट के विरुद्ध निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाया। • बिहार और राजस्थान ने स्टॉक संबंधी सीमा लागू-करने की घोषणा की। • हिमाचल प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश ने वस्तुओं की कीमतों पर बारीकी से नजर रखने की घोषणा की। • राजस्थान ने स्टेट, फूड ऐण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन स्थापित करने की घोषणा की तथा शक्कर और गेहूं के क्रय/विक्रय में लाइसेंस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया।

संदर्भ : संबंधित राज्यों के वित्त मंत्रियों के बजट संबंधी भाषण।

औद्योगीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। इस हेतु प्रमुख नीतिगत उपायों के अंतर्गत हर गांव में सूक्ष्मस्तरीय उद्यमों की स्थापना (असम), अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों को सहायता देने के लिए मार्जिन-मनी अनुदान (छत्तीसगढ़), पूंजी बढ़ाने के लिए जोखिम पूंजी निधि और वायबिलिटी गैप फंड (गोवा), छोटे और अत्यंत छोटे उद्यम स्थापित करने तथा हस्तशिल्प की वस्तुओं की बिक्री के लिए 'हाट और शिल्पग्राम' नामक इंपोरियम स्थापित करने के लिए महिलाओं हेतु विशिष्ट उद्यमी विकास कार्यक्रम (गोवा), बंदरगाहों, विशेष

आर्थिक क्षेत्रों और विशेष निवेश क्षेत्रों को जोड़ने के लिए रोड नेटवर्क (गुजरात), कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान हस्तशिल्प की वस्तुओं के विपणन अभियान को सुकर बनाना (जम्मू और कश्मीर), तथा प्रत्येक जिले में छोटे और मझोले उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित करने हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं में सुधार लाना (कर्नाटक) शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कृषि उद्योगों और औद्योगिक विकास के केंद्र स्थान के रूप में मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद गोल्डेन क्वाड्रिलैटरल के लिए एक नीति बनायी। उद्योगों की प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा देने के लिए बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे इनपुट/आउटपुट पर प्रवेश कर में छूट/कमी करने की घोषणा की है।

3.8 कई राज्यों ने वर्ष 2010-11 के लिए अपना बजट प्रस्तुत करते समय सामाजिक क्षेत्र, विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण को और बढ़ावा देने पर जोर दिया है। कई राज्यों ने अपने यहाँ शैक्षिक सुविधाओं में सुधार लाने के लिए नए महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा किसी निश्चित विषय की शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2010 से प्रत्येक बच्चे के लिए कक्षा दस तक शिक्षा अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है, तथा हिमाचल प्रदेश ने बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनिनियम, 2009 कार्यान्वित करने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने वर्ष 2010-11 के दौरान शैक्षिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। गुजरात सरकार ने पंद्रह वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए '*सरस्वती यात्रा*' नामक नयी योजना घोषित की है तथा आंध्र प्रदेश में शिक्षा तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए *सर्वशिक्षा अभियान* तथा केंद्र द्वारा प्रायोजित '*साक्षर भारत*' नामक योजना लागू करने का प्रस्ताव किया है।

3.9 राज्यों के बजटों में सामाजिक कल्याण के लिए घोषित किए गए नए नीतिगत उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं : (i) स्वयं सहायता समूहों की सदस्य 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए अंशदायी पेंशन योजना (डॉ. वाई.एस. आर अभय हस्तम योजना) (आंध्र प्रदेश), (ii) वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और अपंगों के लिए पेंशन राशि में वृद्धि (राजस्थान), (iii) वृद्धों और असहायों के लिए मासिक पेंशन (तमिलनाडु), (iv) समस्त निवासी जनसंख्या के लिए बीमा नीति योजना (स्वर्ण जयंती आरोग्य बीमा) के माध्यम से बीमा कवर (गोवा) और (v) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत न्यूनतम काम पूरा कर लेनेवाले सभी परिवारों के लिए 2 रुपये प्रति किलो की दर पर चावल उपलब्ध कराना (केरल)।

3.10 राज्यों ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए भी उपायों की घोषणा की ताकि महिलाएं विकास के लाभ प्राप्त कर सकें। इन उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है : (i) गरीबी रेखा के नीचे वाले किसी परिवार में जन्म लेनेवाली प्रत्येक लड़की के नाम से, "बेटी है अनमोल योजना" के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस में 5,100 रुपये जमा करना (हिमाचल प्रदेश), (ii) किसी परिवार की महिला सदस्य के नाम से खरीदी गयी जमीन पर स्टाम्प ड्यूटी में 25 प्रतिशत की छूट (जम्मू और कश्मीर), (iii) शिक्षित महिलाओं को उनके कौशल विकास के लिए प्रशिक्षिण देना (कर्नाटक) और (iv) महिलाओं के नाम में अंतरित संपत्ति के लिए स्टाम्प ड्यूटी कम करना (पंजाब)।

3.11 राज्यों के बजटों में घोषित किए गए नीतिगत उपायों का लक्ष्य वर्ष 2010-11 के दौरान राज्यों में वित्तीय समावेशन/बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना भी है। इन उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं : (i) बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूहों को अपेक्षाकृत सस्ते ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रदत्त बैंक ऋणों के लिए ब्याज पर 3 प्रतिशत की सब्सिडी (अरुणाचल प्रदेश), (ii)वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाना (गुजरात और कर्नाटक), (iii) 2000 तक की आबादी वाले गाँवों में शाखारहित बैंकिंग और बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेट्स तथा प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के माध्यम से सप्ताह में कम-से-कम एक दिन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना (बिहार) और (iv) सीमान्त कृषकों, विशेष रूप से गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को अधिक ऋण उपलब्ध कराना तथा प्रारंभिक धन (सीड कैपिटल) प्रदान करना (मेघालय)। नागालैंड सरकार ने बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है तथा उत्तराखंड ने वर्ष 2010-11 के दौरान 428 गांवों में मिनी बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव किया है। राजस्थान ने एग्रीगेट को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट स्कीम के माध्यम से सहकारिता अभियान को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव किया है।

3.12 वर्ष 2010-11 में राज्यों की नीतिगत पहलों के अनुसार सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य सेवाओं का विकास प्राथमिकता का एक अन्य क्षेत्र है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं (i) ग्रामीण नागरिकों को मूल्ययोजित सेवाएं प्रदान करने के लिए पुलों तथा नागरिक सेवा केंद्रों का निर्माण (आंध्र प्रदेश), (ii) इफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि स्थापित

करना (गोवा), (iii) सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी से चलायी जा रही परियोजनाओं के वित्तपोषण, कार्यान्वयन, अनुरक्षण तथा परिचालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास बोर्ड गठित करना (हरियाणा), (iv) विद्युत का परेषण और वितरण तथा एक्सप्रेसवेज़ का निर्माण (उत्तर प्रदेश), (v) अस्पतालों का निर्माण (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और (vi) तीसरे स्तर की स्वास्थ सेवा में सुधार लाना (हरियाणा)।

संस्थागत उपाय तथा अन्य नीतिगत प्रमुख पहलें

3.13 राज्यों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून, मूल्ययोजित कर, नयी पेंशन योजनाएं जैसे किए गए संस्थागत उपायों तथा समेकित ऋण शोधन निधि और गारंटी मोचन निधि की स्थापना से उन्हें पिछले दशक में अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिली है। इस दिशा में हुई प्रगति अत्यंत उत्साहवर्धक रही है क्योंकि सभी राज्यों ने मूल्ययोजित कर व्यवस्था लागू कर दी है और राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून पारित कर दिए हैं। वस्तुत: वर्ष 2010-11 के दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि पश्चिम बंगाल और सिक्किम सरकारों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम पारित किया जाना है जिससे इन राज्यों में वित्तीय व्यवस्था के पुनर्गमन में सहायता मिलने की उम्मीद है, वह भी विशेषत: पश्चिम बंगाल में जो लंबे समय से राजस्व घाटा झेल रहा है (बॉक्स III.2)। राजकोषीय परिचालनों तथा ऋणों को अपेक्षित सीमा के अंदर बनाए रखने के मामले में और अधिक पारदर्शिता पर विशेष जोर देते हुए सिक्किम के राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2010 में वर्ष 2010-11 में राजस्व शेष की स्थिति प्राप्त करने तथा सकल राजकोषीय घाटा - सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात घटाकर वर्ष 2011-12 में 3.5 प्रतिशत करने तथा वर्ष 2013-14 तक 3.0 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। अन्य संकेतकों के संबंध में राज्यवार स्थिति सारणी III.1 में दी गई है।

3.14 राज्यों के वर्ष 2010-11 के बजटों में घोषित किए गए अन्य संस्थागत उपायों के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं : (i) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा दिए गए अनुदानों का शत-प्रतिशत उपयोग

बॉक्स III.2: पश्चिम बंगाल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2010

पश्चिम बंगाल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम जुलाई 2010 में लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होगा कि राजकोषीय प्रबंध के लिए विवेकपूर्ण कदम उठाए जाएं और राजस्व घाटे में धीरे-धीरे कमी करके राजकोषीय स्थिरता लायी जाए, राजकोषीय घाटे में कमी की जाए और राजकोषीय सुव्यवस्था के अनुरूप विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन किया जाए, राज्य सरकार के राजकोषीय परिचालनों में और अधिक पारदर्शिता लायी जाए तथा राजकोषीय नीति मध्यावधि ढांचे के अंतर्गत संचालित की जाए।

प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध संबंधी लक्ष्यों के बारे में इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार धीरे-धीरे राजस्व घाटा कम करेगी तथा 5 वर्ष के भीतर राजस्व शेष की स्थिति प्राप्त कर लेगी। सकल राज्य घेरलू उत्पाद के अनुपात के रूप में राजस्व घाटे का वर्ष 2011-12 में 1.6 प्रतिशत का लक्ष्य होगा जिसे 2014-15 तक कम करके शून्य पर लाया जाएगा और राजस्व खाते में तैयार हुए अधिशेष का उपयोग आस्तियों से अधिक देयताओं को चुकाने के लिए किया जाएगा। इस अधिनियम के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान प्रस्तावित 3.5 प्रतिशत के सकल राजकोषीय घाटा-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को घटाकर वर्ष 2013-14 तक 3.0 प्रतिशत पर लाया जाएगा।

घाटा संकेतकों को परिभाषित करने के अलावा इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि वार्षिक बजट के साथ एक मध्यावधिक राजकोषीय नीति संबंधी रणनीतिक वक्तव्य राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अधिकांश अन्य राज्यों की तरह, इस अधिनियम में राजकोषीय संकेतकों के संबंध में तीन वर्ष के लिए चल लक्ष्य तय करने की व्यवस्था है। सबसे अधिक जोर अंतर्निहित अनुमानों/धारणाओं, लेखाकरण मानकों, पूंजीगत प्राप्तियों के उपयोग, आगामी वित्त वर्ष के लिए कराधान तथा व्यय के संबंध में राज्य सरकार की नीतियों, रणनीतिक प्राथमिकताओं, उधार और अन्य देयताओं, उधार देने और निवेश करने, हानि और गारंटियों तथा राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की उन गतिविधियों के संबंध में और अधिक पारदर्शिता तथा प्रकटीकरण पर है जिनका प्रभाव बजट पर पड़ सकता है।

पश्चिम बंगाल राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम में कहा गया है कि राज्य सरकार को (i) संविदा संबंधी बकाया देयताओं, (ii) राजस्व संबंधी की गयी ऐसी मांग जिसकी वसूली नहीं की जा सकी हो, (iii) बड़े कामों और आपूर्ति संबंधी संविदाओं के मामले में देनदारियों संबंधी आश्वासनों, (iv) सार्वजनिक वस्तु और सेवाएं प्रदान करने में हुए घाटों, तथा बजट से भिन्न उधार तथा गारंटियों के आधार पर सृजित आकस्मिक देयताओं से जुड़ी सूचनाएं प्रकट करना चाहिए। इस अधिनियम के अनुसार एक सार्वजनिक व्यय समीक्षा समिति नियुक्त की जानी चाहिए जो एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें ऐसी हर मद का पूरा लेखा-जोखा दिया जाएगा जिसके संबंध में पिछले वर्ष के दौरान राजकोषीय लक्ष्य से भिन्नता की स्थिति पैदा हुई हो। राज्य के बजट में, आगामी वर्ष के दौरान निर्दिष्ट सीमा से अधिक घाटों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आकस्मिक उपायों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम का पारित किया जाना पश्चिम बंगाल में नियम-आधारित राजकोषीय नीति की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित प्रमुख लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य सरकार को निश्चित नीतियां बनानी होंगी। भले ही इस अधिनियम से अधिक पारदर्शिता तथा प्रकटीकरण सुकर हो सकेगा, फिर भी इसमें राज्य सरकार द्वारा लिए गए बकाया ऋणों और गारंटियों पर कोई मात्रात्मक सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसके अलावा, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम पारित हो जाने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार (i) राज्य-विशिष्ट अनुदानों, (ii) ऋण समेकन और राहत सुविधा का लागू होना और (iii) राष्ट्रीय लघु बचत निधि और राइट ऑफ पर ब्याज से राहत के संबंध में 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों से लाभान्वित हो सकती है। 13वें वित्त आयोग ने इन योजनाओं के अंतर्गत, संबंधित राज्यों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम पारित किये जाने / उसमें संशोधन किये जाने की शर्त के अधीन, लाभ प्रदान किये जाने की सिफारिश की थी।

सारणी III.1: राज्य सरकारों द्वारा संस्थागत उपाय*

राज्य	मूल्ययोजित कर (वॅट) कार्यान्वित	बनाया गया राजकोषीय उत्तरादायित्व कानून (एफआरएल)	शुरू की गई नई पेंशन योजना (एनपीएस)	गारंटी की सीमा लगाई गई	समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ)
1	2	3	4	5	6	7
1 आंध्र प्रदेश	अप्रैल 2005	जून 2005	सितंबर 2004	हां	हां	हां
2 अरुणाचल प्रदेश	अप्रैल 2005	मार्च 2006	नहीं	हां	हां	नहीं
3 असम	मई 2005	सितंबर 2005	फरवरी 2005	हां	हां	नहीं
4 बिहार	अप्रैल 2005	अप्रैल 2006	सितंबर 2005	हां	नहीं	नहीं
5 छत्तीसगढ़	अप्रैल 2006	सितंबर 2005	नवंबर 2004	हां	हां	नहीं
6 गोवा	अप्रैल 2005	मई 2006	अगस्त 2005	हां	हां	हां
7 गुजरात	अप्रैल 2006	मार्च 2005	अप्रैल 2005	हां	हां	हां
8 हरियाणा	अप्रैल 2003	जुलाई 2005	जनवरी 2006	हां	हां	हां
9 हिमाचल प्रदेश	अप्रैल 2005	अप्रैल 2005	मई 2003	हां#	नहीं	नहीं
10 जम्मू और कश्मीर	अप्रैल 2005	अगस्त 2006	नहीं	नहीं	नहीं	हां
11 झारखंड	अप्रैल 2006	मई 2007	दिसंबर 2004	नहीं	नहीं	नहीं
12 कर्नाटक	अप्रैल 2005	सितंबर 2002	अप्रैल 2006	हां	नहीं	नहीं
13 केरल	अप्रैल 2005	अगस्त 2003	2010 **	हां	हां	नहीं
14 मध्य प्रदेश	अप्रैल 2006	मई 2005	जनवरी 2005	हां	नहीं	हां
15 महाराष्ट्र	अप्रैल 2005	अप्रैल 2005	नवंबर 2005	हां	हां	नहीं
16 मणिपूर	जुलाई 2005	अगस्त 2005	जनवरी 2005	हां	हां	हां
17 मेघालय	अप्रैल 2006	मार्च 2006	नहीं	हां	हां	हां ***
18 मिज़ोरम	अप्रैल 2005	अक्तूबर 2006	नहीं	हां	हां	हां #
19 नागालैण्ड	अप्रैल 2005	अगस्त 2005	नहीं	हां	हां	हां
20 उड़िसा	अप्रैल 2005	जून 2005	जनवरी 2005	हां	हां	हां
21 पंजाब	अप्रैल 2005	अक्तूबर 2003	नहीं	हां	हां	नहीं
22 राजस्थान	अप्रैल 2006	मई 2005	जनवरी 2004	हां	नहीं	हां #
23 सिक्किम	अप्रैल 2005	सितंबर 2010	अप्रैल 2006	हां	हां	हां
24 तामिलनाडु	जनवरी 2007	मई 2003	अप्रैल 2003	हां	हां	हां #
25 त्रिपूरा	अक्तूबर 2005	जून 2005	नहीं	हां	हां	नहीं
26 उत्तराखंड	अक्तूबर 2005	अक्तूबर 2005	अक्तूबर 2005	हां	हां	हां
27 उत्तरप्रदेश	जनवरी 2008	फरवरी 2004	अप्रैल 2005	नहीं	नहीं	नहीं
28 पश्चिम बंगाल	अप्रैल 2005	जुलाई 2010	नहीं	हां	हां	नहीं
Sum-up	**28**	**28**	**20**	**18**	**20**	**15**

* नवंबर 2010 के अंत की स्थिति। ** केरल राज्य वित्तीय एन्टरप्राइज़ेज के कर्मचारियों के लिए 2010-11 के बजट में घोषित।
*** 2010-11 के बजट में प्रस्तावित। # राज्य वित्तीय लेखे पर सीएजी रिपोर्ट पर आधारित अपडेशन।
स्रोत: संबंधित राज्य सरकार तथा रिज़र्व बैंक अभिलेख से प्राप्त जानकारी पर आधारित।

सुनिश्चित करने के लिए खर्च में हुई प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए एक अधिकार-प्राप्त समिति का गठन (जम्मू और कश्मीर), (ii) राज्य के वित्तीय उद्यमों के लिए अंशदायी पेंशन योजना शुरू करना (केरल), (iii) चूक के जोखिम न होने देने के लिए गारंटियों को सीमित रखना तथा गारंटी मोचन फंड स्थापित करना (मेघालय), (iv) गारंटी मोचन फंड की राशि बढ़ाना (मिजोरम), (v) राजकोषीय सुधारों और बजट प्रबंध योजना के परिप्रेक्ष्य में राजस्व की उगाही तथा ऋण प्रबंध पर जोर देना (सिक्किम) और (vi) सुधार सहायता यूनिट और कर अनुसंधान इकाई तथा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना (बिहार)।

3.15 स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों ने अपने राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों/ पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक निधि उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है (अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और त्रिपुरा)। मेघालय ने अपने विद्युत शुल्क अधिनियम और विलासिता कर अधिनियम (होटल और लाज) में संशोधनों का प्रस्ताव किया है। सिक्किम ने राज्य में विकेंद्रीकृत प्रशासन के लिए प्रखंड विकास समितियों के गठन का प्रस्ताव किया है।

3.16 असम सरकार ने वर्ष 2010-11 के अपने बजट में चौथे राज्य वित्त आयोग के गठन की घोषणा की है।

3. भारत सरकार

3.17 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार ने राज्यों के कोषागारों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए 626 करोड़ रुपये की एक योजना को अनुमोदन प्रदान किया है जिसमें केंद्र सरकार 482

करोड़ रुपये की सहायता देगी। वर्ष 2010-11 से आंरभ करके लगभग 3 वर्षों में कार्यान्वित की जाने वाली यह योजना राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को उनके कोषागारों के कंप्यूटरीकरण, उन्नयन, विस्तार और इंटरफेस संबंधी जरूरतों, तथा आधारभूत कंप्यूटरीकरण के काम में सहायता प्रदान करेगी। इस योजना से बजट की प्रक्रिया अधिक दक्ष बनेगी, नकदी प्रवाह प्रबंधन में सुधार आयेगा, लेखाओं के तत्काल समाधान को बढ़ावा मिलेगा, प्रबंध सूचना प्रणाली सुदृढ़ होगी, लेखे तैयार करने में सटीकता बढ़ेगी, लेखे समय पर तैयार होंगे, तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। इस परिप्रेक्ष्य में सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को विस्तृत दिशानिर्देश भेज दिए गए हैं ताकि वे अपने प्रस्ताव तैयार कर सकें। इस योजना को कार्यन्वित करने के लिए 'अधिकार प्राप्त समिति' तथा 'कार्यक्रम दिशानिर्धारण समिति' नामक दो समितियां गठित की गयी थीं।

3.18 केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में खाद्यान्न से संबंधित वस्तुओं की मुद्रास्फीत को नियंत्रित करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार-विमर्श करके देश में खाद्यान्न की पर्याप्तता के प्रबंधन के लिए उपायों की घोषणा की। प्रत्यक्ष कर कोड 1 अप्रैल 2012 से लागू किया जाना है तथा माल और सेवा कर, कुछ मुद्दों पर सहमति बन जाने तथा उसके कार्यान्वयन के लिए संस्थागत ढांचा तैयार हो जाने के बाद, लागू किया जायेगा। सरकार ने माल और सेवा कर के संबंध में संसद में 23 मार्च 2011 को संविधान संशोधन बिल पहले ही पेश कर दिया है। तेरहवें वित्त आयोग के आकलन और उसकी सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्वरूप की समीक्षा करने के लिए एक समिति तथा राजस्व घाटा झेल रहे राज्यों का राजस्व घाटा दूर करने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक समिति (केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल) गठित कर दी है।

3.19 चूंकि जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र की जलवायु अत्यंत प्रतिकूल है तथा उस क्षेत्र में बिजली की कमी रहती है, इसलिए भारत सरकार ने सोलर, छोटी जल विद्युत और अत्यंत छोटी बिजली परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार को तिरुपुर में मलशोधन संयंत्र में 'ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम' स्थापित करने की लागत के रूप में अनुदान देने की घोषणा की है ताकि पर्यावरण को क्षति पहुचाएं बिना इस उद्योग को जारी रखा जा सके। गोवा के समुद्री तटों का पुनरुद्धार करके (जहां बहुत ज्यादा कटाव होता रहता है), और पोषणीय वानिकी के माध्यम से हरियाली वाले क्षेत्र का विस्तार करके गोवा के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए विशेष स्वर्ण जयंती पैकेज की घोषणा की गई। वर्ष 2010-11 में स्कूली शिक्षा के लिए अधिक योजनागत आबंटन करने के अलावा राज्यों को वर्ष 2010-11 के लिए तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के लिए संसाधन प्रदान किये गये हैं। मलिन बस्ती मुक्त भारत के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्रीय बजट 2010-11 में राजीव आवास योजना के अंतर्गत राज्यों को वर्ष 2010-11 के दौरान अधिक सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है। असंगठित क्षेत्र में लोगों को उनकी सेवा निवृत्ति के लिए स्वेच्छापूर्वक बचत करने हेतु प्रोत्साहित करने और ऐसे अभिदाताओं के लिए नयी पेंशन योजना चालू करने की लागत में कमी लाने हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2010-11 के दौरान खोले जाने वाले प्रत्येक नयी पेंशन योजना के खाते में 1,000 रुपये प्रति वर्ष का अंशदान करने की घोषणा की है। '*स्वावलंबन*' नामक यह सुविधा वर्ष 2010-11 के दौरान 1,000 रुपये से आरंभ करके अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अंशदान करके नयी पेंशन योजना में शामिल होने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध होगी। तदनुसार वर्ष 2010-11 के लिए 100 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। राज्यों में वाणिज्यिक करों की व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत करने के लिए 'मिशन मोड प्रोजक्ट' नामक परियोजना हाल ही में अनुमोदित की गयी है जिस पर 1,113 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे जिसमें से केंद्र का हिस्सा 800 करोड़ रुपये का होगा। यह परियोजना माल और सेवा कर योजना लागू करने के लिए आधार का काम करेगी।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक

3.20 वर्ष 2009-10 के दौरान राज्य सरकारों का बाजार उधार कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया गया, भले ही सकल उधार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक थे। उच्चतर घाटे से संबंधित चिंताओं और मुद्रास्फीति संबंधी अनुमानों का भी लागत पर प्रभाव पड़ा जिसके चलते राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों पर भारित औसत लाभ में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की तुलना में राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्प्रेड में कमी आयी जो राज्य ऋणों की और अधिक समान वितरण वाली नीलामी का सूचक है। खुदरा/मध्यम श्रेणी के निवेशकों ने राज्य विकास ऋणों की नीलामी में उपलब्ध गैर-प्रतियोगितात्मक बोली की सुविधा के प्रति अपनी अच्छी प्रतिक्रिया दी। उल्लेखनीय है कि यह व्यवस्था 25 अगस्त 2009 से लागू की गई है। अधिक व्यापक खुदरा सहभागिता के परिणामस्वरूप कई राज्यों में वर्ष 2009-10 के दौरान 'कट-ऑफ यील्ड' अपेक्षाकृत निम्न स्तर बना रहा।

3.21 भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21ए के अंतर्गत जनवरी 2011 में जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ एक अनुपूरक समझौता किया। इस समझौते के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक जम्मू और कश्मीर सरकार का सामान्य बैंकिंग कारोबार करेगा तथा 1 अप्रैल 2011 से सरकार की निधियों के निवेश के लिए उसके एकमात्र एजेंट के रूप में काम करेगा। राज्य सरकार की सिफारिश पर रिज़र्व बैंक ने जे ऐण्ड के बैंक लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है जिसके अनुसार राज्य सरकार के सामान्य बैंकिंग कारोबार के संचालन के लिए जे ऐण्ड के बैंक रिज़र्व बैंक के एजेंट के रूप में काम करेगा।

5. निष्कर्ष

3.22 वर्ष 2010-11 में समष्टि आर्थिक परिवेश में सुधार आने तथा पिछले दो वर्षों के दौरान आये असंतुलनों को सुधारने की आवश्यकता के चलते राज्य सरकारों ने अधिक कर संग्रह का लक्ष्य रखकर कई उपाय घोषित किये। कर संबंधी उपायों से राज्यों के राजस्व घाटे में वृद्धि द्वारा राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना सुनिश्चित हो सकेगा। व्यय के संबंध में वर्ष के दौरान सामाजिक कल्याण योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाता रहा। इन योजनाओं में ऐसे नीतिगत उपायों पर और अधिक जोर दिया गया जिनका लक्ष्य आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से खाने-पीने के सामानों की बढ़ती कीमतों से जनसाधारण को सुरक्षा प्रदान करना था। इसके अलावा राज्य सरकारों ने विकास और भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ करने के प्रति अपनी रुचि दिखायी ताकि अधिक वृद्धि की जा सके और इस वृद्धि को कायम भी रखा जा सके। साथ ही सामाजिक क्षेत्र पर किये जाने वाले व्यय से संबंधित नीतियों से राज्यों को मानव पूंजी की गुणवत्ता में सुधार लाने और समग्र विकास की स्थिति हासिल करने में मदद मिलेगी।